फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	**बनाम**	**अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**
श्रीमती बादली देवी निवासी पुरोहित का वास वार्ड नं. 06 सिरोही रोड पिण्डवाडा जिला सिरोही।		सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 13 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
08.01.2026	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 06.11.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट का पट्टा जिस खसरा संख्या 812/412 में है, उसके अडौस–पडौस में जो पक्के मकान बिलानाम भूमि पर बने हुए है, उन सब का नाम सहित विवरण उपलब्ध करवाए तथा अपीलांट का पट्टा जिस खसरा संख्या 812/412 में स्थित है, उस खसरे पर ग्राम पंचायत अजारी द्वारा पूर्व में व वर्तमान में किन–किन लोगों को पट्टा जारी किया गया है, उसके विवरण की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 06.11.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट का पट्टा जिस खसरा संख्या 812/412 में है, उसके अडौस–पडौस में जो पक्के मकान बिलानाम भूमि पर बने हुए है, उन सब का नाम सहित विवरण उपलब्ध करवाए तथा अपीलांट का पट्टा जिस खसरा संख्या 812/412 में स्थित है, उस खसरे पर ग्राम पंचायत अजारी द्वारा पूर्व में व वर्तमान में किन–किन लोगों को पट्टा जारी किया गया है, उसके विवरण की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा के कार्यालय से सम्बन्धित होने से सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/लो.सू.अ./2025/2005 दिनांक 14.11.2025 के द्वारा अपीलांट का मूल आवेदन विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा को स्थानान्तरित कर दिया गया था। चूंकि लोक सूचना अधिकारी विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा के प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर सिरोही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	